उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,

हरिद्वार–249404

संख्याः 363 / 01 / डी0आर0(डिग्री) / सेवा–2 / 2021–22 दिनांक : 15 फरवरी, 2024

विज्ञप्ति

ए0पी0आई0 मेरिट के आधार पर श्रेणीवार/उपश्रेणीवार संशोधित कट ऑफ सूची

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय) चयन–2021 के अन्तर्गत **असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र (Economics)** विषय के लिए दिनांक 13 अप्रैल, 2022 को घोषित शार्टलिस्टिंग परिणाम में सफल अभ्यर्थियों से दिनांक 04 मई, 2022 तक प्राप्त अभिलेखों की सन्निरीक्षा के क्रम में अनर्ह सूची, अभ्यर्थन निरस्त सूची एवं अधिमानी अर्हता विषयक सूचना से संबंधित सूची को आयोग की वेबसाइट पर दिनांक **09 नवम्बर, 2023** को प्रसारित किया गया तथा अनर्ह सूची एवं अधिमानी अर्हता सूची के संबंध में अभ्यर्थियों को **दिनांक 24 नवम्बर, 2023** तक साक्ष्यों सहित प्रत्यावेदन आयोग कार्यालय में प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर प्रदान किया गया, जिसके क्रम में मा0 आयोग द्वारा प्रत्यावेदनों का निस्तारण कर दिया गया है। उक्त के क्रम में अर्ह अभ्यर्थियों की संख्या निर्धारित पद के सापेक्ष 2 गुने से कम होने के कारण मा0 आयोग के निर्णय दिनांक 17 जून, 2022 के क्रम में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली–2012 के चतुर्थ संशोधन–2016 के नियम–05 में उल्लिखित प्राविधान के क्रम में **असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र (Economics)** विषय में अर्ह अभ्यर्थियों की संख्या निर्धारित पद के सापेक्ष 2 गुने से कम होने पर केवल एक बार के लिए मेरिट के आधार पर श्रेणीवार / उपश्रेणीवार अतिरिक्त अभ्यर्थियों को संशोधित कटऑफ के आधार पर औपबन्धिक रूप से निम्न अनुक्रमांक के अनुसार शार्टलिस्ट किया जाता हैः–

क्र0	श्रेणी	संशोधित कट–ऑफ	अनुक्रमांक		
(1)	(2)	(3)	(4)		
1.	अनारक्षित श्रेणी (UR)	89	506088	506144	506388
			506420	506468	506690
			506874	506952	507093
			506553		
2.	अनुसूचित जाति (SC)	25	507101		

नोटः– 1–अनारक्षित श्रेणी **(UR)** के अन्तर्गत संशोधित कट–ऑफ 89 में 08 अभ्यर्थियों के सापेक्ष समान कट–ऑफ में 10 अभ्यर्थी प्राप्त हुए है।

2– पूर्व में **अनारक्षित श्रेणी (UR)** के अन्तर्गत शार्टलिस्ट अभ्यर्थी अनुक्रमांक–**506553** एवं **अनुसूचित जाति (SC)** श्रेणी के अभ्यर्थी अनुक्रमांक 507101 द्वारा संशोधित कट–ऑफ में पुनः स्थान धारित किया गया है। उक्त अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में अभिलेख आयोग को उपलब्ध कराये जा चुके है, अतः पुनः अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने है। परन्तु मा0 आयोग के निर्णय दिनांक 25 जनवरी, 2024 में विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में लिये गये निर्णय के क्रम में उक्त अभ्यर्थियों से विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र साक्षात्कार से पूर्व प्राप्त किया जाना अपेक्षित हैं।

उपरोक्तानुसार संशोधित शार्टलिस्ट अभ्यर्थियों को साक्ष्यों सहित ऑनलाईन आवेदन में किये गये समस्त दावों हेतु आयोग कार्यालय, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में अभिलेख जमा करने के लिए नियमानुसार 15 दिन, **दिनांक 01 मार्च, 2024 (शुक्रवार) सायं 6:00 बजे तक अंतिम अवसर प्रदान किया गया है,** तद्पश्चात अभ्यर्थियों के इस विषय में प्राप्त किसी भी प्रत्यावेदन / प्रमाण–पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। यह भी सूचित किया जाता है कि अभ्यर्थियों को इस संबंध में डाक के माध्यम से पृथक से सूचना प्रदान नही की जायेगी।

-Sd/

(गिरधारी सिंह रावत)

सचिव।